

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०००११०

मुकदमा संख्या :- 122/2022 ए००५४

1. कन्वर्जेंट ड्रॉ चरण चौकी सि० लाइन्स - ३८० खोटा

प्राथी.....

वृत्तनाम

1. राजा सागर जमीन बल्कील वर खोटा

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 श०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 15/6/22

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 श०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सागर पटवार हल्का सागर तहसील करेडा में उसके खाते / संयुक्त खातों की खाता संख्या १६३ आराजी नम्बर ०३०३५/१६३

कुल किता २५३५० हेक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुलदाविया के सीमा विन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते / संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15/6/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कचाने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

प्राथी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सागर पटवार हल्का सागर तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या १६३ आराजी नम्बर ०३०३५/१६३ कुल किता २५३५०

हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुष्टता जानकारी किये जाने हेतु मू-अभिलेख निरीक्षक अमरजी को ३३०१ / - रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा कराये। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाये। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जाये।

संलग्न- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
राजस्थान सरकार, भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को गेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमावली पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
राजस्थान सरकार, भीलवाडा

2022/334

